

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 30 / 2023

दावा बाबत तकास्मा, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा तारीख रजू :- 3-2-2023

मिशल आई0डी0 नम्बर 2023/56

विश्वेन्द्र सिंह पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

बनाम

—वादीगण—08

लखन पुत्र रतन जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—22

| दिनांक   | फर्द अहकाम   |
|----------|--|
| 3-2-2023 | <p>यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.03.2023 को पेश हो।</p> <p>(सुरेश कुमार हरसोलिया)<br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>हिण्डौन जिला करौली</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार एडवोकेट द्वारा कार्य सम्पन्न किया गया है अतः पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक.....को पेश हो।</p> <p>21-3-23</p>                    |
| 21/3/23  | <p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार एडवोकेट द्वारा कार्य सम्पन्न किया गया है अतः पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक 18-5-23 को पेश हो।</p>  |
| 01/01/23 | <p>पत्रावली आज प्रार्थना पत्र मिलकर तलवी पर पेश हुई वादी के वकील वादी उपस्थित/ वादी कमील ने प्रस्ताव कराया है कि वादी उ० नं० 30/2023 उम्मेदगी विश्वेन्द्र बनाम लखन दावा अर्थात् राशि 53,188 को मजिस्ट्रेट के आगे मदीं बखाना चाहते हैं। अतः प्रकरण संख्या 30/2023 दावा विश्वेन्द्र सिंह vs लखन वादी के प्रार्थना पत्र पर नॉटे प्रेस में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पत्रावली फर्द सुकर डेकर मजिस्ट्रेट के पास है।</p> |

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

विलेड  
TME